महोबा पुलिस

दिनांक- 25.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 99/26

सर्किल- कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने चोरी के केबिल तार के साथ 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को प्रभावी कार्यवाही की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत उ0नि0 रोहित कुमार के नेतृत्व में थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. लोकेश सिंह पुत्र मुकेश, निवासी ग्राम पुनिया थाना खरेला जनपद महोबा
2. वंदना सिंह पत्नी लोकेश सिंह, निवासी ग्राम पुनिया थाना खरेला जनपद महोबा उक्त अभियुक्तों को वादी मुकदमा एवं आमजन द्वारा चोरी करते समय पकड़ लिया गया था। जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ, जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वांछित अभियुक्तगण-

1. लोकेश सिंह पुत्र मुकेश, निवासी ग्राम पुनिया थाना खरेला जनपद महोबा
2. वंदना सिंह पत्नी लोकेश सिंह, निवासी ग्राम पुनिया थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रोहित कुमार,

2. म0कां0 सीमा यादव

बरामदगी का विवरण-

- 01 सफेद बोरी में लगभग 21 मीटर काले रंग का केबिल तार
- 01 अदद प्लास
- 01 अदद हथौड़ी

दिनांक- 25.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 100/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना जनपद महोबा की देखरेख में चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.05.2026 को उ0नि0 श्री सुरेश कुमार, चौकी इंचार्ज ग्योड़ी मय हमराह कां0 शीलू यादव द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विस्तृत विवरण-

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महोबा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंटों के अनुपालन में-

1. रामेश्वर सिंह पुत्र सबल सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 2605/2021, अ0सं0 42/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट
2. अमर सिंह पुत्र बरदानी सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1790/2023, अ0सं0 93/2022 धारा 60 आबकारी एक्ट
3. कमलू अनुरागी पुत्र भिख्खू, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा क्रिमिनल केस नं0 16441/2023, अ0सं0 14/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित

   उपरोक्त तीनों वारंटी अभियुक्तों को बस स्टैंड ग्योड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार, चौकी इंचार्ज ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा
2. कां0 शीलू यादव, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 25.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 101/26

महोबा पुलिस

साइबर जागरुकता कार्यक्रम

महोबा पुलिस का व्यापक साइबर जागरूकता अभियान – डिजिटल अरेस्ट, फेक निवेश, लोन ऐप व जॉब फ्रॉड से बचाव हेतु जनपदभर में गोष्ठियां एवं प्रचार-प्रसार।

अपर पुलिस महानिदेशक साइबर, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री गौरव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहत स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों पर साइबर जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनमें ग्राम प्रधान/पूर्व प्रधान, व्यापारीगण, बैंक प्रतिनिधि, विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, जनसेवा केंद्र संचालक, महिला समूह/स्वयं सहायता समूह तथा अन्य सम्मानित नागरिकों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए साइबर जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विशेष रूप से निम्नलिखित साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया गया—

- डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest Fraud)
- फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड
- फर्जी लोन ऐप ठगी
- फेक जॉब ऑफर फ्रॉड
- APK आधारित मोबाइल हैकिंग
- OTP एवं KYC फ्रॉड
- सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग

वर्तमान समय में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आमजन को यह बताया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक, ऐप या निवेश योजना पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें तथा व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

इसी क्रम में जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्पडेस्क टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण कर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, डाकघर, बैंक शाखाएं, एटीएम, शॉपिंग मॉल, सरकारी एवं निजी अस्पताल, तहसील परिसर, न्यायालय परिसर, प्रमुख चौराहों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर साइबर जागरूकता पम्पलेट चस्पा किए गए।

साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें साइबर अपराध से बचाव के उपायों तथा शिकायत करने के त्वरित माध्यमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

अपील- महोबा पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें अथवा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से ठगी की गई धनराशि को बचाया जा सकता है।

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर थाना खन्ना

दिनांक- 25.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 102/26